न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010028832022

<u>Criminal Revision/87/2022</u>

1. देवी प्रसाद पुत्र चन्द्रपाल
2. पवन मिश्रा पुत्र चन्द्रपाल
3. देवकीनन्दन मिश्र पुत्र देवी प्रसाद
4. भगौती प्रसाद पुत्र चन्द्रपाल
5. विजयपाल पुत्र बजरंगी
6. रूपवती पत्नी चन्द्रपाल

साकिनान–मन्नीजोत थाना त्रिलोकपुर जिला–सिद्धार्थनगर

–––निगरानीकर्तागण

<u>बनाम</u>

1. सरकार उत्तर प्रदेश
2. श्रीमती कौशिल्या पत्नी मनोहर लाल साकिन विजवार बढ़ई हालमुकाम मन्नीजोत थाना–त्रिलोकपुर जिला सिद्धार्थनगर।

–––विपक्षी/प्रत्युत्तरदातागण

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांकित–30.06.2022, फौजदारी वाद सं०–1221/2020 राज्य बनाम देवी प्रसाद आदि, मु०अ०सं०–80/19, थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसी कक्ष सं०–1 सिद्धार्थनगर निगरानीकर्ता उपरोक्त के द्वारा संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानीकर्ता का कथन इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व में पारित 156 (3) सी.आर.पी०सी० के प्रार्थना पत्र जो वादिनी कौशिल्या देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त कर दिया गया था उन्ही तथ्यों पर लगभग 2 वर्ष बाद कैसे पुनः उन्ही तथ्यों पर 156 (3) सी.आर०पी०सी० के तहत आदेश पारित किया गया है। इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 त्रुटिपूर्ण / गैरकानूनी एवं मनमाना है जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने प्रसंज्ञान के विन्दु पर पूर्व में पारित विभिन्न आदेशों का संज्ञान न लेकर विधिक भूल की है । मामला कौशिल्या देवी व निगरानीकर्तागण के बीच दीवानी न्यायालय राजस्व न्यायालय में मामला अभी तक लम्बित है तथा स्थगन का आदेश भी है और किसी राजस्व न्यायालय द्वारा फ्राड या धोखाधड़ी या कूटरचित बैनामा किए जाने का निर्णय नही किया है इस कारण आदेश दिनांक 30.06.2022 निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी निगरानीकर्तागण एवं वादिनी कौशिल्या देवी के बीच अचल सम्पत्ति जो बैनामा से संबंधित है का वाद शुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति का है इस पर अपना कोई मत व्यक्त न करके भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 प्रार्थी /

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.24 17:25:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निगरानीकर्तागण के मौलिक अधिकारों का हनन करने का जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण दीवानी मामला से संबंधित है जिस पर दीवानी न्यायालय के अन्तिम फैसले तक प्रार्थी / निगरानीकर्तागण के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नही चलाया जा सकता इस कारण विद्वान मजिस्ट्रेट बांसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 निरस्त होने योग्य है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 के कायम रहने से प्रार्थी निगरानीकर्तागण का मौलिक हनन हो रहा है इस कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी कक्ष संख्या–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 बावत मुकदमा सरकार बनाम देवीलाल आदि दण्ड वाद संख्या 1221/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी0, थाना त्रिलोकपुर निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. विपक्षीगण द्वारा उक्त फौजदारी निगरानी के विरुद्ध आपत्ति दिनांकित 12.03.2026 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि निगरानीकर्तागण की निगरानी खिलाफ नियम कानून व प्रक्रिया के है जो खारिज होने योग्य है। अ०सं०–80/2019 धारा–419, 420, 467, 468, 120 बी, 471 भा०दं०सं० थाना–त्रिलोकपुर जिला सिद्धार्थनगर स्थानीय थाने से मुकदमा कायम हुआ है। धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अधीन मुकदमा नहीं कायम हुआ है। इसलिए निगरानीकर्तागण की निगरानी पोषणीय नहीं है। अवर न्यायाय ने अ०सं० 80/2019 के प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र एवं अन्य प्रपत्रो केस डायरी को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है। अवर न्यायालय के आदेश दिनांक–14.08.2020 के आदेश से केस की अग्रेतर अन्वेषण हेतु आदेश किया गया, जिसके संबंध में दौरान विवेचना SCD 10 में विवेचक ने 01.01.2004 के पारिवारिक समझौता पर प्रश्न चिन्ह की ओर प्रदर्शित किय है। पारिवारिक समझौता प्रपत्र 1.1.2004 सत्यता से परे की ओर प्रदर्शित करता है। इस आधार पर अग्रेतर अन्वेषण दिनांक–31.12.2020 को समाप्त की गयी और आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद अवर न्यायालय ने दिनांक–30.06.2022 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया। दीवानी न्यायालय में जो स्थगन था वह दीवानी न्यायालय द्वारा गलत पाये जाने पर दिनांक–03.09.2024 को स्थगन खारिज कर दिया गया है। देवी प्रसाद एवं उत्तरदाता सं०–2 के बीच दीवानी मामला नहीं है। अपंजीकृत पारिवारिक समझौता के आधार पर अचल संपत्ति का अन्तरण नहीं हो सकता है। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

4. निगरानीकर्ता द्वारा अपने समर्थन में सूची सबूत 17 ख के माध्यम से कम्प्यूटर कापी रेवन्यू बोर्ड लखनऊ भगवती प्रसाद आदि बनाम रामआज्ञा, मूल वाद सं०–315/16 भगौती प्रसाद आदि बनाम मनोहर आदि के वाद पत्र की नकल, मूल वाद सं०–225/2018 भगौती आदि बनाम रामाआज्ञा व अन्य में पारित आदेश दिनांकित–30.08.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिप आदेश बोर्ड आफ रेवन्यू लखनऊ दिनांकित–24.09.2019 आदि दाखिल किया गया है। सूची सबूत के माध्यम से फाइनल रिपोर्ट की नकल, चार्जशीट की नकल, राजस्व परिषद लखनऊ की छायाप्रति, आदेश दिनांकित–07.06.16 की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट थाना त्रिलोकपुर, प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र धारा–156(3) दं०प्र०सं०, सम्पूर्ण आर्डरशीद की नकल, आरोप पत्र की नकल आदि दाखिल किया गया है।

5. प्रतिवादी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश दिनांकित–19.01.2026 दाखिल किया गया है।

6. उभय पक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. निगरानीकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि–

(i)– न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० निरस्त किया गया था

(ii)– बैनामे के सम्बन्ध में दीवानी और राजस्व न्यायालयों में मामले लम्बित हैं इस कारण अभी कूटरचना नहीं कही जा सकती।

(iii)– प्रकरण दीवानी मामले से सम्बन्धित है अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

8– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि–

(i)–प्रकरण में मुकदमा धारा–156(3) दं०प्र०सं० के तहत नहीं वरन् थाने से कायम किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। अतः निगरानी निरस्त की जाय।

9– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–30.06.2022 को प्रकरण का संज्ञान लिया गया है जिसमें पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। पूर्व में प्रसंज्ञान के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा दिनांक–14.08.2020 को विवेचना में त्रुटियां इंगित की गयी थी और अग्रिम विवेचना करायी गयी थी। वर्तमान में विचारण न्यायालय ने प्रपत्रों और केस डायरी तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन कर प्रसंज्ञान लिया है। प्रसंज्ञान के स्तर पर साक्ष्य के विशद विवेचन की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा जिन तर्कों पर बल दिया गया है उनकी जाँच विचारण के स्तर पर ही की जा सकती है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निगरानी बलहीन है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी सं०–87/2022, निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित–30.06.2022 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति के साथ मूल पत्रावली विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–24.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code– UP 6336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–24.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code– UP 6336